



VEERBAHADUR SINGH PURVANCHALUNIVERSITY
JAUNPUR, 222003(U.P.)
vbspu.ac.in

3.1.6 Percentage of departments with UGC-SAP, CAS, DST-FIST, DBT, ICSSR and other recognitions by national and international agencies: 75%

3.1.6.1: The Number of departments with UGC-SAP, CAS, DST-FIST , DBT, ICSSR and other similar recognitions by national and international agencies: 18

File Description

S. No.	Documents	Page No.
01	e-version of departmental recognition award letters	01-18

संख्या- 78/2022/1984 /सत्तर-4-2022- 003-70-4099/7/022

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
3. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
4. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. डॉ० राम मनोहर लोहिया अविध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
6. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त, 2022

विषय:- "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अधीन गठित एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-239/रा०उ०शि०प०/4/10 II, दिनांक 03.06.2022 एवं पत्र संख्या-261/रा०उ०शि०प०/4/10 II, दिनांक 17.06.2022 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों के अनुसार सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹0 1,57,77,000/- (रूपये एक करोड़ सत्तावन लाख सतहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	को-ऑर्डिनेटर/विभाग	विषय/शीर्षक	संस्तुत धनराशि का मदवार विवरण (रूपये में)	
			मद	धनराशि (रूपये में)
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर				
1	Dr. Mohit Kumar (Department of Business Management)	Centre for Excellence in Awareness about Capital Markets	उपकरण	100000
			आकस्मिकता	20000
			उपभोग्य सामग्री	10000
			यात्रा फील्ड वर्क	30000
			योग	160000

ME4 2022 CCE 08/08/22

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

I/204630/2022

2	Dr. Sonali Maurya (Department of English and Modern European and Other Foreign Languages)	The Indian Graphic Narratives: Traumatic History and Graphic Memory	उपकरण	100000
			आकस्मिकता	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	50000
			योग	200000
3	Dr. Ankit Trivedi (Department of English and Modern European and Other Foreign Languages)	Indian (Sanskrit) and Western Poetics: A Comparative Study	एक प्रोजेक्ट फेलो	180000
			यात्रा/फील्ड वर्क	100000
			उपकरण	100000
			आकस्मिकता	40000
			योग	420000
4	Dr. Smita Srivastava (Department of Atal Bihari School of Legal Studies)	Role of IPR in Innovation by Startups: A case study of Kanpur	मैन पावर	180000
			आकस्मिकता	100000
			उपभोग्य सामग्री	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	50000
			योग	380000
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली				
5	Dr. Brajesh Kumar (Department of Computer Science & Information technology)	Crop Health Monitoring Using Machine Learning	उपकरण	500000
			उपभोग्य सामग्री/आकस्मिकता	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	50000
			योग	600000
6	Prof. S. K. Pandey (Applied Chemistry)	Studies on the Designing, Synthesis and Development of bio active molecules with particular emphasis on antiviral agent to combat corona Pandemic	उपकरण	300000
			केमिकल्स एण्ड ग्लासवेयर	200000
			आकस्मिकता	200000
			मैन पावर	120000
			योग	820000
श्री बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर				
7	Dr. Kajal Kumar Dey (Department of Center for Nano. Science and Technology)	Optimization of charge transfer and charge separation in co-doped metal oxide nanomaterials for green hydrogen generation via photoelectrochemical water splitting	उपकरण	100000
			मैन पावर	180000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोग्य सामग्री	50000
			यात्रा /फील्ड वर्क	5000
			योग	385000
8	Dr. Sushil Shukla (Department of Mathematics)	Centre of Excellence in Mathematics	उपकरण	150000
			मैन पावर	60000
			आकस्मिकता	50000

HE4 2022 COE 000000

Registrar
Y.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

I/204630/2022

			यात्रा/फील्ड वर्क	30000
			योग	290000
9	Dr. Manish Pratap Singh (Department of Physics)	Development novel and efficient cathode material for rechargeable lithium batteries	उपकरण	250000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोग्य सामग्री	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	20000
			योग	370000
10	Dr. Shyam Kanhaiya (Department of Earth and Planetary Sciences)	Risk Zonation Mapping and Flood Hazard Assessment of the Ghaghara River, Uttar Pradesh, India	मैन पावर	180000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोग्य सामग्री	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	30000
			योग	310000
11	Dr. Mithilesh Yadav (Department of Chemistry)	Xanthan gum based thin composite films for Food Packaging Application	मैन पावर	144000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोग्य सामग्री	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	20000
			योग	264000
12	Dr. Punit Kumar Dhawan (Department of Physics)	Growth of Nanostructured TMDC's and their Nanocomposites for Energy Storage Devices	मैन पावर	180000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोग्य सामग्री	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	25000
			योग	305000
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ				
13	Dr. Geetanjali Mishra (Department of Zoology)	Ecofriendly Agriculture by Augmentation of Ladybird Beetles.	01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोग्य सामग्री	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	20000
			योग	300000
14	Dr. S. N. Pandey (Department of Botany)	Bioethanol improvement in maize as bioenergy sources with sustainable soil-zinc management	उपकरण	500000
			01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			उपभोग्य सामग्री	150000
			आकस्मिकता	20000
			यात्रा/फील्ड वर्क	40000
			योग	890000
15	Dr. Mohammad Israil Ansari (Department of Botany)	Impact of bioengineered gold and silver nanoparticles in regulatory mechanism for leaf development and senescence in rice	उपभोग्य सामग्री	400000
			आकस्मिकता	75000
			यात्रा/फील्ड वर्क	25000
			योग	500000
16	Prof. Poornima Vajpayee (Department of Botany)	Enhancement of production of bio-diesel crops in degraded/polluted lands combining green nanoparticles and plant growth promoting	उपकरण	1500000
			प्रोजेक्ट फेलो	180000
			फील्ड असिस्टेंट	144000
			उपभोग्य सामग्री/केमिकल्स	200000
			प्लॉमिटर एण्ड ग्लोम्युलेटर्स	100000

HE4 2022 CCE 09898

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

I/204630/2022

		microorganism/organic ameliorants for Green Energy	आकस्मिकता	200000
			टिचरिंग सर्विस	100000
			यात्रा/फील्ड वर्क	100000
			योग	2524000
डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या				
17	Dr. Anil Kumar (Department of Physics & Electronics)	Dielectric, Optical and Electrical Studies on nano-material doped Liquid Crystals for Energy saving Display devices	उपकरण	600000
			01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	20000
			उपभोग्य सामग्री	100000
			यात्रा/फील्ड वर्क	10000
			योग	910000
18	Dr. Vinod Kumar Chaudhary (Department of Environmental Sciences)	Decadal scale geomorphic changes, migration and flood mitigation of the Saryu River in the Ayodhya District, Uttar Pradesh	उपकरण	100000
			01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोग्य सामग्री	10000
			यात्रा/फील्ड वर्क	50000
			योग	365000
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ				
19	Prof. Sanjeev Kumar Sharma (Department of Physics)	Synthesis of Ag-doped ZnO-Go nanocomposites for Gas sensor applications	01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			उपकरण	250000
			उपभोग्य सामग्री	100000
			आकस्मिकता	100000
			योग	630000
20	Dr. Anuj Kumar (Department of Physics)	Development of Environmentally safe flexible Nano-Composite polymer Gel electrolytes (NCPGE) for efficient super capacitors	उपकरण	140000
			मैन पावर	60000
			आकस्मिकता	30000
			उपभोग्य सामग्री	70000
			यात्रा/फील्ड वर्क	20000
			योग	320000
21	Neelu Jain Gupta (Department of Zoology)	Chronobiological investigation into putative metabolic-obesity biomarkers in human cohorts for diabetes risk-factor using migratory birds as pathology free models for type-2 diabetes	01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोग्य सामग्री	100000
			यात्रा/फील्ड वर्क	50000
			योग	380000
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा				
22	Prof. Achla Gakkhar (Institute of Home Science)	Centre of Excellence for Women Empowerment	उपकरण	500000
			मैटिनेन्स	100000
			बुक्स	100000
			अगोर्नोमिक्स टूल्स एण्ड री मैटेरियल्स फार ट्रेनिंग पर्यंत्र	100000
			01 प्रोजेक्ट फेलो	180000

HE-4 2022 CCE

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

			01 टेक्निकल असिस्टेंट	120000
			ट्रेनिंग वर्कशाप	100000
			आकस्मिकता	100000
			योग	1300000
23	Prof. Manu Pratap Singh (Department of Computer Science)	Study, Research and development of machine learning techniques for data analysis and pattern recognition	उपकरण एवं साफ्टवेयर	500000
			01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोग्य सामग्री	20000
			यात्रा/फील्ड वर्क	20000
			वर्क स्टेशन	100000
			योग	870000
24	Dr. Ajay Taneja (Department of Chemistry)	Role of Green Chemistry in controlling Environmental Pollution	01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	250000
			उपभोग्य सामग्री/केमिकल्स	200000
			यात्रा/फील्ड वर्क	30000
			योग	660000
25	Dr. Sanjeev Kumar (Department of Mathematics)	Proposal for Centre of Excellence (Advance Mathematical Software Lab as per NEP-2020 requirements)	उपकरण	500000
			साफ्टवेयर एण्ड ई-बुक्स आदि	500000
			यात्रा	100000
			01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			01 टेक्निकल असिस्टेंट	144000
			ट्रेनिंग/वर्कशाप	100000
			आकस्मिकता	100000
			योग	1624000
			महायोग	15777000

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा।
- (2) प्रश्रुत योजना से संबंधित कार्य हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
- (3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएंगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
- (5) एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।

HE4 2022 CCE vishwa

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

- (6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
- (7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।
- (9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।
- (10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
- (12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (13) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अनुदान को छोड़कर शेष विश्वविद्यालयों के अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,57,77,000 (रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख सतहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 073 लेखा शीर्षक 2202031024900 सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-11-79-X-2022-23, दिनांक- 24-08-2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by गिरिजेश कुमार
त्यागी

भवदीय,

Date: 24-08-2022 18:10:59 (गिरिजेश कुमार त्यागी)

Reason: Approved

विशेष सचिव।

संख्या - 78/2022/1984(1)/सत्तर-4-2022-003-70-4099/7/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. अपर सचिव, 30प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)

अनु सचिव।

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी

1. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
2. छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक : 15 मार्च, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का परीक्षण एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-466/रा०उ०शि०प०/4/10 II, दिनांक 27.10.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित विवरण के अनुसार सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत रू० 36,95,000/- (रूपये छत्तीस लाख पन्चानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(धनराशि रूपये में)

क्र०सं०	को-ऑर्डिनेटर/विभाग का नाम	विषय/शीर्षक	संस्तुत की गयी धनराशि का मदवार विवरण	
			मद	धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर				
1	Prof. Vandana Rai (Department of Biotechnology)	Molecular Study of Non-communicable diseases (NCDs) in Eastern Uttar Pradesh Population	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	200000
			यात्रा	12500
			योग	417500
2	Dr. Dharendra Kumar Chaudhary (Centre for Renewable Energy, Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) Institute of Physical Sciences for Study and research, VBS Purvanchal University)	Monolithic Growth of Organohalide Perovskite Single Crystals for Efficient and Stable Solar Cell Devices via Space Confined Method	उपकरण आदि	200000
			आकस्मिकता	100000
			उपभोज्य सामग्री	150000
			यात्रा/फील्ड वर्क	12500
			योग	462500
3	Prof. Devraj Singh (Department of Physics, Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) Institute of Physical Sciences for Study and	Design and Development of Perovskite Solar Cells on Biodegradable Paper Substrates	उपकरण आदि	400000
			आकस्मिकता आदि	25000
			उपभोज्य सामग्री आदि	50000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

	research, VBS Purvanchal University)		योग	475000
4	Prof. Avinash D. Pathardikar (Department of HRD, Faculty of Management Studies)	This practise of identifying the wisdom of the Indian scriptures and Vedas will be initiated by te centre of excellence.	पुस्तकें आदि	50000
			प्रोजेक्ट फेलो	180000
			उपभोज्य सामग्री/स्टेशनरी	40000
			यात्रा/फील्ड वर्क/डाटा कलेक्शन	40000
			मुद्रण पर व्यय	60000
			योग	370000
1. छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर				
1	Dr. Rajesh Pratap singh (Department of Physical Education and Sports)	Talent Identification Through Sports Anthropometry to Enhance the Performance	उपभोज्य सामग्री	50000
			उपकरण	150000
			यात्रा	10000
			पुस्तकें	5000
			आकस्मिकता	25000
			योग	240000
2	Dr. Vinod Kumar Verma (Department of Life Science)	Heavy Metals and their Impacts on Histology and Chromosomal Aberration in the Fishes of River Ganga in Kanpur District (U.P.)	साक्सलेट एक्सट्रैक्शन यूनिट	40000
			मेटल टाइप	
			माइक्रोटोप	50000
			माइक्रोस्कोप	90000
			उपभोज्य सामग्री	100000
			आकस्मिकता	25000
			फील्ड वर्क	5000
			यात्रा	5000
			प्रोजेक्ट फेलो	180000
			योग	455000
3	Prof. Sudhir K. Awasthi (Department of Life Science)	Centre of Excellence for Life Sciences.	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			केमिकल्स /उपभोज्य सामग्री	200000
			ग्लासवेयर/प्लास्टिक वेयर	100000
			लघु उपकरण	200000
			आकस्मिकता	35000
			योग	715000
4	Prof. Sanjay Swarnkar (Department of School of Languages)	Centre of Excellence in Modern English Literature	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	50000
			यात्रा	15000
			उपकरण	60000
			योग	305000
2. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली				
1	Dr. Meenakshi Dwivedi (Department of Education (IASE))	Developing MOOC on Fundamentals of Online & Blended Teaching for Professional Development of Pre-	उपकरण एवं अध्ययन सामग्री	100000
			प्रिपेरेशन आफ टीएलएम, एसेसमेंट, प्रेजेन्टेशन, आनलाइन,	50000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

Service & In-Service Teachers		रीफरेन्स मैटेरियल आदि	
		वीडियो प्रोडक्शन	50000
		ट्रेवल एण्ड फील्ड वर्क एण्ड हियरिंग सर्विस	10000
		उपभोज्य सामग्री	20000
		आकस्मिकता	25000
		योग	255000
सम्पूर्ण योग			3695000

- (1) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार फांट का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा।
- (2) प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
- (3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
- (5) एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।
- (6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
- (7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।
- (9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।
- (10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Registrar
Y.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

- (12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्रांट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (13) प्रश्नगत शोध हेतु जो भी उपकरण क्रय किये जाएंगे, शोध/परियोजना पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विभाग को हस्तगत कर दिये जाएंगे, जिसका उपयोग विभाग द्वारा आगामी शोध परियोजनाओं के लिए किया जायेगा। साथ ही परियोजना पूर्ण होने की सूचना भी शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।
- 2- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-3485-दस-2021-22 दिनांक 07 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1।
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
अनु सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 28 जनवरी, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का परीक्षण एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-08/रा०उ०शि०प०/4/10 II, दिनांक 08.01.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹० 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	विभाग का नाम	समन्वयक का नाम	शीर्षक	अनुमोदित अनुदान	स्वीकृत धनराशि
1	जनसंचार विभाग एवं संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान संकाय	Dr. Manoj Mishra	सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस अनुवाद	5,00,000.00	5,00,000.00

(रूपये पांच लाख मात्र)

2- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार फांट का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा।

3- प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।

4- योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

5- सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

6- एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jounpur

- 7- धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
- 8- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।
- 10- इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियाँ व्यय हेतु अनुमन्य होगी, जो शासनादेश संख्या-1075/70-4-99/46(21)/99 दिनांक 29 अप्रैल, 2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गई है। इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 11- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
- 12- इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 13- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
- 14- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिवा

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Registrar
B.S. Purvanchal University
Jaunpur

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1।
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह,
उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक : 17 फरवरी, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का परीक्षण एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-08/रा०उ०शि०प०/4/10 II, दिनांक 08.01.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹0 3.00 लाख (रूपये तीन लाख मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	विभाग का नाम	समन्वयक का नाम	शीर्षक	अनुमोदित अनुदान	स्वीकृत धनराशि
1	Department of Management	Dr. Ashutosh Kumar Singh	Center of Excellence in Tourism Management & Research	₹0 3.00 लाख	₹0 3.00 लाख

(रूपये तीन लाख मात्र)

- 2- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार फांट का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा।
- 3- प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
- 4- योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएंगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
- 6- एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7- धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।

8- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

10- इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियाँ व्यय हेतु अनुमन्य होगी, जो शासनादेश संख्या-1075/70-4-99/46(21)/99 दिनांक 29 अप्रैल, 2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गई है। इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

12- इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

13- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-167/दस-2021 दिनांक 12/02/2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,
योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी
विशेष सचिवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

No. NPIU/TEQIP/2019-2020/240

27th August 2019

Prof. B B Tiwari
Director
Uma Nath Singh Institute of Engineering & Technology,
VBS Purvanchal University
Jaunpur, (Uttar Pradesh)

Subject: Additional Project Life Allocation (PLA) through re-appropriation due to satisfactory performance in terms of expenditure.

Dear Sir/ Madam,

Kindly refer our communication dated 22nd July 2019 regarding additional/ curtailment of project life allocation (PLA) due to better spending in TEQIP-III. In spite of strong persuasion by SPIU and repeated requests and advance intimation (dated 23rd June 2019) from NPIU, the pace of improvement of few institute/ATU was not encouraging and could not improve the expenditure status till 31st July 2019. Though only 13 months left for conclusion of the project, no substantial progress is visible by such institutions/ATU.

2. MHRD/NPIU is making concerted efforts to avoid delays and consequent fund curtailment to all institutions/ATUs. The World Bank and MHRD have observed that institutions/ATUs that need more time to achieve performance benchmarks and DLIs also showed lower overall expenditures and have not been able to meet expenditure targets outlined for the project.

3. As the project is not achieving expenditure targets due to poor performing institutes/ATUs, the project is likely to be downscaled. In view of possible downsizing of the project, the World Bank suggested to develop a system for re-appropriation of funds of institutions/ ATUs having better spending for achievement of expenditure target. Hence, it is agreed to implement re-appropriation of funds in two stages. While Stage-1 focuses primarily on percentage expenditure (more than 60% of PLA) as on 31st July 2019 to the extent of 10% of PLA, Stage-2 will consider both percentage expenditure as well as achievement of performance benchmarks and contribution in achievement of DLIs limited to further 10% of PLA.

4. Based on the above criteria, it is unfortunate that few institutes/ATU could not retain their PLA and their funds have been re-appropriated to high performing institution (list in Annex-1). The revised PLA of institutions shall be as under:

Institution Type	Original PLA Cr.	Revised PLA Cr.	Remarks
1.1 Non Autonomous	10	11	Additional funds for Procurement, Academics & IOC in the ratio of 60:30:10
1.1 Autonomous	15	16.5	
1.3 Non-focus	7	7.70	Additional funds for Procurement, Academics & IOC in the ratio of 50:40:10


5. While I congratulate you for getting additional PLA, your responsibility also enhanced due to revised PLA. I request you to take appropriate actions to achieve criteria given in Annex-2 for possible additional allocation further or avoiding curtailment (upto 10%) of revised PLA during the Stage 2 exercise to be carried out in last week of September 2019.

Regards,


Prof. (Dr.) P.M Khordke
Central Project Advisor

c.c. by email to (i) Principal Secretaries of the states,
(ii) TEQIP Coordinators of respective institutes,
(iii) SPIU to ensure information reaches to respective institutes immediately,
(iv) NPIU, Fin & Proc. sections to make changes in PMSS & PFMS immediately, and
(v) All mentor consultants of NPIU

Sh. Anil



कोपिया कॉरपोरेट सुइट्स, तृतीय तल
301-302, प्लॉट नं. 9, जसोला विहार, नई दिल्ली-110025
Copia Corporate Suites, 3rd Floor
301-302, Plot No. 9, Jasola Vihar, New Delhi-110025

दूरभाष / Phone : +91-11-26941003/04/06/08/09/29
फैक्स / Fax : +91-11-26941012, 26941014
वेब साइट / Web site : www.npiu.nic.in
ई-मेल / E-mail : npiu-mhrd@gov.in

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

25 Annex-1

TEQIP-III: Revised PLA with additional funds

Institute	Comp	PLA	Expend to 31st July 2019	Exp	Additional (40% of original PLA)	Revised PLA
Jama Nath Singh Institute of Engineering & Technology, VBS Purvanchal University, Jaunpur	1.1	10.00	7.38	73.80	1	11.00


Registrar
VBS Purvanchal University
Jaunpur